संख्या- 32 /2026/ 950/सत्रह-म-2026-17-1099/25/2025

प्रेषक,

सुनील कुमार वर्मा,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
मत्स्य विभाग,
उ0प्र0लखनऊ।

मत्स्य उत्पादन अनुभाग लखनऊः दिनांक 01 जून 2026

विषयः चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 में अनुदान संख्या-83 के अन्तर्गत अनुसूचित जाति की महिला मत्स्य पालकों को सघन मत्स्य पालन हेतु एयरेशन सिस्टम की स्थापना योजना हेतु प्रावधानित धनराशि रू0 45.75 लाख की वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने के सम्बंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक अपने पत्र संख्या- 312/नि0श0/ 2026-27 दिनांक 18.05.2026 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-83 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक 2405- मछली पालन,789- अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना, 03- सघन मत्स्य पालन हेतु एयरेशन सिस्टम की स्थापना, 20- सहायता अनुदान- सामान्य (गैर वेतन) के अन्तर्गत आय-व्ययक में प्राविधानित धनराशि रू0 45.75 लाख की वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- इस सम्बंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-83 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक 2405- मछली पालन,789- अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना, 03- सघन मत्स्य पालन हेतु एयरेशन सिस्टम की स्थापना, 20- सहायता अनुदान- सामान्य (गैर वेतन) के अन्तर्गत आय-व्ययक में प्राविधानित धनराशि रू0 45.75 लाख (पैंतालिस लाख पचहत्तर हजार मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तो/ प्रतिबन्धों के अधीन आहरित कर व्यय केयि जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं-

(1) स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण/व्यय अनुमोदित कार्ययोजना एवं योजना हेतु निर्धारित दिशा निर्देशों/गाइड लाइन्स एवं संगत नियमों के अनुसार किया जायेगा तथा व्यय विवरण सहित उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

(2) प्रश्नगत धनराशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष में ही सुनिश्चित किया किया जायेगा।

(3) स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय उन्हीं मदों में किया जायेगा जिस मद के लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है। किसी अन्य मद में न ही इसका व्यय किया जायेगा और न ही एक मद से दूसरे मद में इसका व्यावर्तन किया जायेगा।

(4) महानिदेशक मत्स्य यह सुनिश्चित करेगें कि इस हेतु पूर्व में किसी अन्य योजना/स्रोत से धनराशि स्वीकृत नही की गयी है।

(5) अवमुक्त धनराशि का व्यय नियमानुसार आवंटित परिव्यय सीमा तक ही किया जायेगा।

(6) प्रस्ताव में आंकडों की शुद्धता का दायित्व महानिदेशक मत्स्य/ सम्बंधित अधिकारी का होगा।

(7) वित्तीय स्वीकृतियां जारी करने अथवा धनराशि को विभागाध्यक्ष /नियंत्रक अधिकारी के निवर्तन पर रखे जाने से पूर्व प्रशासकीय विभाग के स्तर पर की जाने वाली समस्त

औपचारिकताओं की पूर्ति अनिवार्यतः सुनिश्चित कर ली जाये। यह भी स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का विभागाध्यक्ष/नियंत्रक अधिकारी के निर्वतन पर रखे जाने मात्र से किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नही देता है।

(8) जिन मामलों में उ0प्र0 बजट मैनुअल और वित्तीय नियम संग्रहों तथा स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार/केन्द्र अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति विभागाध्यक्ष/नियंत्रक अधिकारी द्वारा प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने के पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाये।

(9) स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण/व्यय वित्त(आय-व्ययक)अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-4/2026/बी-1-812/दस-2026-231/2026 दिनांक 28 मार्च, 2026 एवं वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत शासनादेशों में दिये गये दिशा-निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा।

3- इस सम्बंध में होने वाला व्यय धनराशि रू0 45.75 लाख (पैंतालिस लाख पचहत्तर हजार मात्र) को वित्तीय वर्ष 2026-27 में अनुदान संख्या-83 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक 2405- मछली पालन, 789- अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना, 03- सघन मत्स्य पालन हेतु एयरेशन सिस्टम की स्थापना, 20- सहायता अनुदान- सामान्य (गैर वेतन) के नामें डाला जायेगा।

भवदीय

Digitally signed by
SUNIL KUMAR VERMA
Date: 29-05-2026
13:36:44

(सुनील कुमार वर्मा)
विशेष सचिव।

संख्या-39 / 2026 /950(1) / सत्रह-म-2026 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

(1) महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय उ0प्र0 प्रयागराज।

(2) महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय उ0प्र0 प्रयागराज।

(3) मुख्य कोषाधिकारी,जवाहर भवन उ0प्र0 लखनऊ।

(4) उप निदेशक मत्स्य(नियोजन) मत्स्य निदेशालय उ0प्र0 लखनऊ।

(5) वित्त एवं लेखाधिकारी, मत्स्य निदेशालय उ0प्र0 लखनऊ।

(6) सम्बधित कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

(7) वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-1 /वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 /नियोजन अनुभाग-3।

(8) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(सुनील कुमार वर्मा)

विशेष सचिव।